न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 05 / 2021

<u>अपीलाण्ट</u> — <u>बनाम</u> — <u>रेस्पोडेण्ट्स</u>

दुर्गाराम पुत्र स्व. वजारामजी,
जाति जणवा चौधरी (सीरवी),
निवासी डूँगली, तहसील बाली
जिला पाली (राज.)

1. माँगीलाल पुत्र स्व. वजारामजी,
2. रकमो देवी पत्नि स्व. वजारामजी,
3. सुकी देवी पुत्री स्व. वजारामजी,
4. गजरो देवी पुत्री स्व. वजारामजी,
5. तीजो देवी पुत्री स्व. वजारामजी,
6. रती बाई पुत्री स्व. वजारामजी,
जातिगण जणवा चौधरी (सीरवी),
निवासीगण डूँगली, तहसील बाली
जिला पाली (राज.)

<u>अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956</u>

उपस्थितः–

(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता गणपत लाल चौधरी, लक्ष्मण के. चौधरी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 17/2/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, बाली (भू.अ.) द्वारा ग्राम–डूँगली, तहसील–बाली के नामान्तरकरण सं. 478 दिनांक 15.11.2018 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स सं. 1 लगायत 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री चेतन आगरी उपस्थित द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता को प्रर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्स की ओर से न तो वकालतनामा पेश किया ओर न ही प्रकरण के निस्तारण हेतु किसी प्रकार जवाब प्रस्तुत किया। अन्ततः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सूनी गई।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम–डूँगली, तहसील–बाली में अपीलाण्ट व उसके सह–खातेदारों की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि दो अलग–अलग खातो की आई हुई है, जो **खाता सं. 143** खसरा नम्बर 186, 193 कुल खसरे–2, रकबा 1.55 हैक्टेयर एवं हाल **खाता सं. 144** खसरा नम्बर 158, 160, 190, 191, 192 कुल खसरे–2, रकबा 8.25 हैक्टेयर है। जिस भूमि में अपीलाण्ट के पिता वजाराम पुत्र नवारामजी का नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज रहा है। वजाराम की मृत्यु दिनांक 25.10.2017 को होने पर उपरोक्त खातेदारियों में वारिशानो के नाम इन्द्राज करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 478 भरा गया, जिसमें पटवारी हल्का सेवतलाव ने लिखा है कि ''वजाराम पुत्र नवाराम फौत होने से उनके जायन्दा उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण दायर कर वास्ते जाँच एवं निर्णय हेतु श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।'' उक्त नामान्तरकण की जाँच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा को भेजा जिन्होंने नामान्तरकरण के इन्द्राजों का मिलान किया और इन्द्राज सही होने की टिप्पणी के साथ नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत नहीं भेजा एवं बाद में तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार लिख कर नीचे दिनांक 15.11.2018 लिख दिया। परन्तु उक्त नामान्तरण भरते समय पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम दुर्गाराम की जगह दरगाराम पुत्र वजाराम व अपीलाण्ट की माता रेस्पोडेन्ट सं. 2 का नाम रकमो देवी की जगह रको देवी पत्नि वजाराम बिना जाँच एवं दस्तावेजों के देखे ही दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट का नाम सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेजों– मतदाता पहचान–पत्र, राशन कार्ड, पेनकार्ड, आधार कार्ड व बैंक डायरी आदि में दुर्गाराम पुत्र वजाराम दर्ज है। इसी तरह अपीलाण्ट की माता रकमो देवी आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरा में दर्ज है। साथ ही वजाराम की चार जायन्दा जीवित पुत्रीया रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 6 है, वो भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बहैसियत विधिक उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त सम्पत्ति में कानूनी हक रखती है उन्हें भी वंचित रखा गया है। इस तरह अपीलाधीन नामान्तरण भरने से स्वीकृति तक अपीलाण्ट को विधिक प्रक्रियानुसार बिना सुने, दस्तावेज प्राप्त व जाँच किये एवं वजाराम के उत्तराधिकारो की पूर्ण व सही जाँच किये बिना हीं स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बाली द्वारा ग्राम डूँगली, तहसील बाली के स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 478 दिनांक 15.11.2018 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, बाली को प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट के दस्तावेजों एवं वजाराम पुत्र नवाराम के सभी विधिक वारिशानों की सही एवं समुचित जाँच करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तहसीलदार, बाली को निर्णय की प्रति पालनार्थ अलग से भेजी जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

नाम दुर्गाराम की जगह दरगाराम गलत दर्ज होने व दस्तावेजों से भिन्न हो जाने से हाल ही में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा काश्तकारों को दी जाने वाली सहायता/अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 478 Ab initio Void and Honest होने से निरस्त करने योग्य है। साक्ष्य में रेकर्ड व दस्तावेज पेश है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 ने अपील के समर्थन में कथन करते हुये निवेदन किया कि वजाराम पुत्र नवाराम की जायन्दा पुत्रीयां होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के तहत अपील में वर्णित तमाम खातेदारियों में कानूनी हक–अधिकार रखती है, जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली में पेश रेकर्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में जैर नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट्स के गलत नाम इन्द्राज करने एवं उसके रहते सरकारी सहायता/अनुदान के हक–अधिकारों के वंचित होने का प्रश्न होने से गुणावगुण पर निर्णय हेतु अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम डूँगली, तहसील–बाली के <u>खाता सं. 143</u> खसरा नम्बर 186, 193 कुल खसरे–2, रकबा 1.55 हैक्टेयर एवं हाल <u>खाता सं. 144</u> खसरा नम्बर 158, 160, 190, 191, 192 कुल खसरे–2, रकबा 8.25 हैक्टेयर की अपीलाण्ट के स्व. पिता वजाराम पुत्र नवारामजी व अन्य सह–खातेदार की खातेदारीसुदा रही है एवं इनकी मृत्यु के बाद विरासत का उक्त जैर नामान्तरण संख्या 478 भरा गया है उस समय पटवारी हल्का को वजाराम पुत्र नवारामजी के वारिशान के नामों के विधिक दस्तावेज प्राप्त कर एवं देखकर उनकी सही जांच कर भरना था जो नहीं किया गया साथ ही तहसीलदार बाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय विधिक वारिसानों के नाम इन्द्राज के सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच कर उनको सुनते हुये विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत करना था, जिसकी पालना तहसीलदार बाली द्वारा नहीं की गई है। जिससे अपीलाण्ट अपने पिता की सम्पत्ति से प्राप्त विधिक हक–अधिकारों से वंचित हो रहा है। इस कारण से जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)